प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश

दांडिक अपील क्र. 400/1991

यशवंत राव मराठा

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु सूचीबद्ध दिनांक: 17.08.2011

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश

दांडिक अपील क्र. 400/1991

अपीलकर्ता यशवंत राव मराठा पिता भीमराव मराठा, उम्र 43 वर्ष, पटवारी, पटवारी हल्का क्र. 21, रानी रोड, पुरानी बस्ती, कोरबा, तहसील कोरबा, जिला बिलासपुर, म.प्र. (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी के माध्यम से:

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य) द्वारा पुलिस स्टेशन, कोरबा, जिला बिलासपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत आपराधिक अपील)

उपस्थित:

सुश्री अभिषेक सिन्हा, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

श्री सतीश गुप्ता, राज्य के शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

(17-08-2011)

(1) यह अपील विशेष न्यायाधीश, बिलासपुर के विशेष दांडिक प्रकरण क्र. 5/85 में दिनांक 25 मार्च, 1991 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आपेक्षित निर्णय द्वारा

अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 (2) की धारा 5 (1) (द) और भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के तहत दोषसिद्ध किया गया है और उसे 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 500/- रुपये के अर्थदंड और 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है, साथ ही सभी सज़ाएँ एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

अपीलार्थी पटवारी था। वह पटवारी हल्का क्र. 21 का प्रभारी था। शिकायतकर्ता - मुरितराम साहू (अ.सा.-1) और उसके भाइयों की कोरबा, रिस्दी और पोंडी बहार गांव में पैतृक संपत्तियाँ थी। उनके पिता की मृत्यु वर्ष 1978 में हो गई थी। उनकी मौत के बाद उनके परिवार में बंटवारा हो गया। कोरबा गांव में मौजूद भूमि उनके बड़े भाई ठंडाराम (ब.सा.-1) और उनकी मां को संयुक्त रूप से दी गई थी। हालांकि, यह केवल ठंडाराम (ब.सा.-1) के नाम पर ही दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता -मुरितराम चाहते थे कि भूमि पर ठंडाराम के साथ उनकी मां का नाम भी दर्ज किया जाए। आरोप है कि अपीलार्थी ने ठंडाराम के साथ मुरितराम की मां का नाम दर्ज करने के लिए 600/- रुपये की मांग की। मुरीतराम (अ.सा.-1) ने कथित तौर पर उसे 200/- रुपये दिए। इसलिए, अपीलार्थी ने मुरीतराम से शेष 400/- रुपये देने को कहा। मुरीतराम पैसे देने को तैयार नहीं था, इसलिए दिनांक 28-12-81 को वह दर्शनदास (ब.सा.-2) के साथ शिकायत दर्ज कराने बिलासपुर गया। संयोगवश, वे अपीलार्थी से कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित निर्वाचन कार्यालय के पास मिले। यह आरोप है कि उस समय भी अपीलअर्थी ने 400/- रुपये की मांग की। मुरीतराम (अ.सा.-1) ने कहा कि वह कुछ समय बाद अपीलार्थी को 100/- रुपये देगा। इसके बाद मुरीतराम कलेक्ट्रेट गया और शिकायत (प्रदर्श-पी/1) दर्ज कराई। इसे सतर्कता विभाग को भेजा गया और अंततः सतर्कता विभाग वालों ने एक ट्रैप लगाने का फैसला किया। दर्शनदास (ब.सा.-2) भी सतर्कता कार्यालय गया था, जहां उन्हें फिनोलफ्थलीन परीक्षण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का प्रदर्शन दिया गया। मुरीतराम (अ.सा.-1) ने 100/- रुपये का एक नोट दिया। उस नोट पर फिनोलफ्थलीन पाउडर छिड़का गया और फैला दिया गया। उचित निर्देशों के साथ, यह नोट मुरीतराम (अ.सा.-1) को दिया गया। जी.के. तिवारी (अ.सा.-11), एक पुलिस अधिकारी, ट्रैप दल को नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद ट्रैप दल कलेक्ट्रेट गई। सबसे पहले मुरीतराम (अ.सा.-1) और दर्शनदास (ब.सा.-2) वहां पहुंचे और वे अपीलार्थी को जलपान और चाय के लिए एक कैंटीन/होटल में ले गए। आगे आरोप यह है कि जलपान करने के बाद, दर्शनदास (ब.सा.-2) भुगतान करने के लिए काउंटर पर गया और उसी समय, शिकायतकर्ता ने अपनी जेब से रंग लगा नोट निकालकर अपीलार्थी को दे दिया। ट्रैप दल ने अपीलार्थी को ऊपर दिए गए करेंसी नोट के साथ पकड़ा लिया। फिनोलफ्थलीन परीक्षण से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की गईं। जब्ती मेमो (प्रदर्श-पी/11) और पंचनामा (प्रदर्श-पी/12) तैयार किया गया और देहाती नालिश (प्रदर्श-पी/9) दर्ज की गई। इन सभी के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आयोजन स्वीकृति की औपचारिकता सहित अन्य औपचारिकताओं के पूरा करने के बाद, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (जिसे इसके बाद 'विशेष अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 5 (1) (द) के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 161 और धारा 5 (2) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अपीलार्थी ने अपना बचाव करते हुए कहा कि वह शिकायतकर्ता (अ.सा.-1) के अनुरोध पर कैंटीन/होटल गया था और चाय-नाश्ता करने के बाद, शिकायतकर्ता ने उसे कैंटीन/होटल कस बिल का भुगतान करने के लिए 100/- रुपए दिए थे; उसकी ओर से परितोषण की मांग नहीं की गई थी और उसने कभी भी शिकायतकर्ता से अवैध परितोषण स्वीकार नहीं किया। वास्तव में, अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने परीक्षण के दौरान पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में अपना स्पष्ट बचाव दिया। विद्वान

विशेष न्यायाधीश ने विशेष अधिनियम की धारा 4 (1) के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए माना कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से रंग लगा नोट लेने की बात स्वीकार किया है, इसलिए उपधारणा उसके विरुद्ध जाएगा और चूंकि वह उपधारणा का खंडन करने में विफल रहा, इसलिए वह विशेष अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की उपरोक्त धाराओं के तहत दंड का पात्र है।

(4) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री अभिषेक सिन्हा ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने उस उपधारणा का पूर्णतः खंडन कर दिया है जो उसके विरुद्ध की जा सकती थी; कैंटीन/होटल की मेज पर केवल 3 व्यक्ति बैठे थे यानी अपीलार्थी, शिकायतकर्ता - मुरितराम (अ.सा.-1) और दर्शनदास (ब.सा.-2) और ट्रैप दल के अन्य सभी सदस्य कुछ दूरी पर थे। वे नोट देने से पहले अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के बीच हुई बातचीत के बारे में गवाही नहीं दे सके; दर्शनदास (ब.सा.-2) एक छाया साक्षी था; अभियोजन पक्ष द्वारा उसका परीक्षण नहीं कराया गया; उसका परीक्षण बचाव पक्ष द्वारा कराया गया, जिसने अभियोजन के मामले या मुरितराम (अ.सा.-1) के साक्ष्य का समर्थन नहीं किया, उसने गवाही दी कि नोट कैंटीन/होटल के बिल के भुगतान के लिए दिया गया था; इसलिए, यह सभी युक्तियुक्त संदेहों से पड़े साबित नहीं हुआ कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से रिश्वत के रूप में रंग लगा नोट लिया था और अपीलार्थी के विरुद्ध उपधारणा का खंडन हो गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री सतीश गुप्ता ने इन तर्कों का विरोध किया और विशेष न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(6) मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ को विस्तार से सुना है और विशेष प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(7) मुरीतराम (अ.सा.-1) ने कथन किया कि सतर्कता कार्यालय में प्रदर्शन के बाद, वह दर्शनदास (ब.सा.-2) के साथ रिक्शे पर कलेक्ट्रेट लौट गया। उन्होंने अपीलार्थी को खोजा

और उसे निर्वाचन कार्यालय के सामने पाया। उसने अपीलार्थी से कहा कि वह 100/- रुपये लाया है। उसने उसे चाय आदि के लिए कैंटीन/होटल चलाने को कहा। इसके बाद वह अपीलार्थी और दर्शनदास (ब.सा.-2) के साथ कैंटीन/होटल चला गया। सतर्कता दल के व्यक्ति भी कैंटीन/होटल में आए। वे 20-25 फीट के दायरे में थे। उनमें से 3-4 कैंटीन/होटल के अंदर थे। दर्शनदास (ब.सा.-2) ने जलपान और चाय के बाद कैंटीन/होटल का बिल का भुगतान किया और उसने रंग लगा नोट अपीलार्थी को सौंप दिया। इसके बाद उसने संकेत दिया और ट्रैप दल उस स्थान पर आ गई जहाँ वे बैठे थे। जे.पी. सिन्हा (अ.सा.-9), तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी थे, ट्रैप दल के सदस्य थे। वे भी कैंटीन/होटल के अंदर थे। उन्होंने प्रति-परीक्षण के कंडिका-15 में कथन किया कि वे एक मेज पर बैठे थे जो अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और दर्शनदास (ब.सा.-2) की मेज से 8-9 फीट की दूरी पर थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने देखा कि शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी को पैसे दिए। वे इस बारे में गवाही नहीं दे सके कि अपीलार्थी को रंग लगा नोट देने से पहले अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के बीच क्या बात हुई थी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि दर्शनदास (ब.सा.-2) को अभियोजन द्वारा छोड़ दिया था, हालांकि बचाव पक्ष द्वारा ब.सा.-2 के रूप में उसका परीक्षण किया गया। उसने बताया कि वह अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के साथ कैंटीन/होटल में एक आम मेज पर बैठा था। जलपान और चाय के बाद जब अपीलार्थी ने बिल का भुगतान करने की कोशिश की, तो शिकायतकर्ता ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि वह उसे जलपान और चाय के लिए लाया है और शिकायतकर्ता ने उसे 100/- रुपये का नोट दिया और उसके बाद कुछ लोग वहां आए और अपीलार्थी को पकड़ लिया। लोक अभियोजक द्वारा प्रति-परीक्षण में दर्शनदास (ब.सा.-2) की साक्ष्य से उनके पक्ष में कुछ भी अभिलेख पर बिल्कुल कुछ भी नहीं लाया जा सका। वास्तव में, 2 पंक्तियों का एक औपचारिक प्रति-परीक्षण किया गया है। अभियोजन के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साक्ष्य के मूल्यांकन पर, हम पाते हैं कि यह साबित नहीं हुआ कि 100/- रुपये की राशि शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी को अवैध परितोषण के रूप में दी गई थी या शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी को यह यह कहते हुए दी गई थी कि वह इस राशि से कैंटीन/होटल का भुगतान कर दे। अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है कि शिकायतकर्ता के द्वारा अपीलार्थी को रंग लगा करेंसी नोट देने से पहले अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के बीच क्या बातचीत हुई थी। हालांकि, बचाव पक्ष ने दर्शनदास (ब.सा.-2) की साक्ष्य के माध्यम से यह बताया है कि शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी को करेंसी नोट यह कहकर दिया था कि वह कैंटीन/होटल के बिल का भुगतान कर देगा। इसलिए, अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति से संबंधित साक्ष्य संदिग्ध प्रतित होती है।

(8) दर्शनदास (ब.सा.-2) एक छाया साक्षी था। वह शिकायतकर्ता के साथ उसके गांव से ही मौजूद था। शिकायतकर्ता ने अपने प्रति-परीक्षण में, कंडिका-23 में स्वीकार किया कि जब अपीलार्थी उसे कलेक्ट्रेट में मिला, तो दर्शनदास (ब.सा.-2) उसके (शिकायतकर्ता) साथ था। उसने बहु स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने कोरबा में अपीलार्थी को फंसाने का मन बना लिया था और वह दर्शनदास (ब.सा.-2) को कोरबा से अपने साथ ले आया था। वह दर्शनदास (ब.सा.-2) के साथ कलेक्ट्रेट गया था। इसके बाद वह उसे कमिश्नर कार्यालय भी ले गया। उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह दर्शनदास को यह बताकर लाया था कि आज उसे अपीलअर्थी को फंसाना है। उसने आगे स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि कोरबा से लेकर अपीलार्थी के पास से करेंसी नोट जब्त होने तक, दर्शनदास (ब.सा.-2) लगातार उसके साथ मौजूद था। इससे पता चलता है कि दर्शनदास (ब.सा.-2) एक छाया साक्षी था। इस छाया साक्षी से अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं किया गया और जब पचाव पक्ष ने उसका परीक्षण किया, तो उसने अखंडित संस्करण दिया कि करेंसी नोट शिकायतकर्ता द्वारा कैंटीन/होटल के बिल के भुगतान के लिए अपीलार्थी को दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छाया साक्षी के उपरोक्त आचरण और अभियोजन मामले पर इसके प्रभाव के आधार पर, श्री अभिषेक सिन्हा ने ***श्रीमती मीना बलवंत हेमके बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 2000 एससी 3377*** के निर्णय पर अवलंब लिया है। उक्त मामले में, पंच साक्षियों में से एक, जो शिकायतकर्ता के साथ छाया साक्षी के रूप में गया था, जब उसने रिश्वत देने की कोशिश की, तो उसने शासकीय अधिवक्ता के मामले का समर्थन नहीं किया। एक अन्य छाया साक्षी, जो शिकायतकर्ता द्वारा संकेत दिए जाने के बाद सबसे पहले मौके पर पहुँचा था, उससे परीक्षण विचारण में नहीं की गई और विभागीय कार्यवाही में परीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता की बात पर भरोसा नहीं किया जा सका, क्योंकि उसने उसी घटना के बारे में जो विरोधाभासी बयान दिया था, वह विश्वसनीय नहीं था। नोट अभियुक्त की मेज के पैड से मिला था। हालांकि इस निर्णय की प्रयोज्यता की जांच शिकायतकर्ता मुरीतराम (अ.सा.-1) के साक्ष्य की संवीक्षा के बाद की जानी है, लेकिन एक बात अविवादित रहती है कि दर्शनदास (ब.सा.-2) एक छाया साक्षी था, उसका अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं किया गया और पचाव पक्ष द्वारा परीक्षण किया गया। यदि दर्शनदास (ब.सा.-2) के साक्ष्य स्वीकार की जाती है, तो उसने अभियोजन के इस मामले को ध्वस्त कर दिया है कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से अवैध परितोषण के रूप में 100/- रुपये स्वीकार किए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) ***सूरजमल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1979) 4 एससीसी 725*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि जिन परिस्थितियों में भुगतान किया गया है, उन्हें छोड़कर केवल पैसे की बरामदगी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब मामले में सारवान साक्ष्य विश्वसनीय न हों। केवल बरामदगी से अभियुक्त के खिलाफ़ अभियोजन का आरोप सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि रिश्वत देने को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है या यह दिखाने के लिए कि अभियुक्त ने अपनी स्वेच्छा से पैसे लिए थे,

यह जानते हुए कि यह रिश्वत है। इस निर्णय पर ***सीएम गिरीश बाबू -बनाम- सीबीआई, कोचीन, केरल उच्च न्यायालय, (2009) 3 एससीसी 779*** में अवलंब लिया था। सीएम गिरीश को आगे ***बनारसी दास -बनाम- हरियाणा राज्य, एआईआर 2010 एससी 1589*** में संदर्भित किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल अभियुक्त से रिश्वत के राशि की बरामदगी का मात्र अपराध की प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं था और रिश्वत की मांग और स्वीकृत का साक्ष्य आवश्यक था।

(10) वर्तमान मामले में, मुरीतराम (अ.सा.-1) के साक्ष्य को छोड़कर, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता मुरीतराम (अ.सा.-1) से 100/- रुपये की मांग की थी। अपीलार्थी कोरबा के एक हल्का का पटवारी था जो बिलासपुर से 100किमी से अधिक दूर पर है। शिकायतकर्ता के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अपीलार्थी ने उससे कहा था कि वह किसी विशेष दिन बिलासपुर में उससे मिलेगा। शिकायतकर्ता को कैसे पता चला कि उस दिन वह अपीलार्थी से बिलासपुर में मिलेगा और उसे अपीलार्थी को फंसाने की तैयारी के साथ बिलासपुर जाना चाहिए। शिकायतकर्ता मुरितराम (अ.सा.-1) ने स्पष्ट शब्दों में कथन किया कि उसने अपने गांव में अपीलार्थी को फंसाने का मन बना लिया था और इसके लिए वह छाया साक्ष्य- दर्शनदास (ब.सा.-2) को लाया था, जिसने वास्तव में उसका समर्थन नहीं किया। मुरीतराम (अ.सा.-1) ने कंडिका-4 में कथन कि वह अपीलार्थी से निर्वाचन कार्यालय के पास मिला था। अपीलार्थी ने उससे रिश्वत की मांग की। इस पर उसने कहा कि आज वह 100/- रुपये लाया है जो वह उसे कुछ देर बाद दे देगा। इसके बाद वह कलेक्ट्रेट गया और रिपोर्ट दर्ज कराई। दर्शनदास (ब.सा.-2) ने भी शिकायतकर्ता की बात का समर्थन नहीं किया है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(11) रोहित कुमार (अ.सा.-2) संबंधित नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने सतर्कता अधिकारी को राजस्व अभिलेखों की प्रतियां जारी की थीं। उन्होंने कंडिका-2 में कथन किया कि राजस्व

अभिलेखों में नामांतरण से पहले उद्घोषणा करना आवश्यक है। उद्घोषणा प्रमाणन अधिकारी द्वारा की जाती है। प्रमाणन अधिकारी पक्षकारों को नोटिस भी देता है। दोनों पक्षों की उपस्थिति के बाद आवश्यक आदेश पारित किए जाते हैं। उद्घोषणा या नोटिस जारी करने से संबंधित आदेश सुसंगत आदेश-पत्रक में दर्ज किए जाते हैं। राजस्व निरीक्षक केवल अविवादित वाले नामांतरण को प्रमाणित करता है और उनके द्वारा पारित किए गए ऐसे नामांतरणों के कुछ प्रतिशत की तहसीलदार द्वारा जांच की जाती है। यह संसरण दर्शाता है कि राजस्व अभिलेखों में नामों के नामांतरण में पटवारी की शायद ही कोई निर्णायक भूमिका होती है और वह उद्घोषणा के बिना और इसके लिए की गई राजस्व कार्रवाई में प्रमाणन अधिकारी द्वारा पारित किए गए आवश्यक पारित आदेशों के बिना ऐसा नहीं कर सकता। अन्यथा भी, हम इस बात का न्यायिक संज्ञान लेते हैं कि मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 110 के तहत, जैसा कि तब था, नामांतरण की शक्तियां कभी भी पटवारी के पास निहित नहीं थी और पटवारी को अविवादित मामलों में राजस्व निरीक्षक जैसे प्रमाणन अधिकारी और विवादित मामलों में तहसीलदार/नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेशों के अनुसार कार्य करना पड़ता था। मुरितराम (अ.सा.-1) एक बार कोरबा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। वह श्रमिक मामलों और मजदूर आंदोलनों से भी जुड़े थे। यह उसने उन्होंने कंडिका-20 में स्वीकार किया और कंडिका-21 में यह भी स्वीकार किया कि पहले एक अवसर उनके कहने पर एक थाना प्रभारी एच.के. शुक्ला को भी फंसाया गया था। जब नामांतरण के मामले में अपीलार्थी के पास कुछ भी ठोस नहीं था, तो अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से उस उद्देश्य के लिए 600/- रुपये क्यों मांगे और शिकायतकर्ता पहले 200/- रुपये और ट्रैप की तारीख को 100/- रुपये क्यों देगा। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और दर्शनदास (ब.सा.-2) के साक्ष्य को देखते हुए, शिकायतकर्ता के आरोप पूरी तरह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) ***<u>पनालाल दामोदर राठी बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1979 एससी 1191</u>*** और ***<u>गुलाम-महमूद ए मालेक बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 1980 एससी 1558</u>***, जिस पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलंब लिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 165-अ को शामिल करने के बाद शिकायतकर्ता एक सह-अपराधी से बेहतर स्थिति में नहीं होगा और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि शिकायतकर्ता की साक्ष्य की तात्विक विशिष्टियों से पुष्टि होनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 165-अ को शामिल करने के बाद, जो रिश्वत देने वाले व्यक्ति को रिश्वत के लिए दुष्प्रेरण का दोषी बनाती है, शिकायतकर्ता को एक सह-अपराधी से बेहतर स्तर पर नहीं रखा जा सकता है और अभियुक्त को अपराध से जोड़ने वाली तात्विक विशिष्टियों की पुष्टि पर ज़ोर देना चाहिए। पनालाल (पूर्वोक्त) में, अपीलार्थी द्वारा पैसे मांगने के संबंध में शिकायतकर्ता की गवाही की कोई पुष्टि नहीं हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पहलू पर, इसलिए, यह पाया जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता के संस्करण की पुष्टि नहीं हुई थी और इसलिए, इस पहलू पर शिकायतकर्ता की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। 1988 से पहले यही स्थिति थी। हालांकि धारा 161 से 165-अ को बाद में हटा दिया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को मुरितराम (अ.सा.-1) के साक्ष्य की मूल्यांकन के लिए अच्छी तरह से लागू किए जा सकते हैं। मेरा विचार है कि उसके उपरोक्त आचरण के प्रकाश में और दर्शनदास (ब.सा.-2) के साक्ष्य की प्रकाश में भी, शिकायतकर्ता (अ.सा.-1) के संस्करण की पुष्टि नहीं था और पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं था और मीना बलवंत (पूर्वोक्त) में निर्धारित अनुपात को वर्तमान मामले में भी लागू किए जा सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) ***त्रिलोक चंद जैन बनाम दिल्ली राज्य, एआईआर 1977 एससी 666*** में, ***महेश प्रसाद गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 1974 एससी 773*** में दिए गए निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 4 (1) के तहत अभियुक्त व्यक्ति पर लगाई गई उपधारणा का खंडन करने के लिए जो साक्ष्य का भार होता है, उसकी मात्रा और चरित्र को, साक्ष्य के भार की मात्रा और चरित्र के बराबर नहीं माना जा सकता है, जो धारा 101, साक्ष्य अधिनियम के तहत अभियोजन पक्ष पर होता है। हालांकि अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 (जैसा कि तब था) के तहत अपनी परीक्षा में जो स्पष्टीकरण दी थी, वह केवल स्वीकार्यता पर्याप्त नहीं हो सकती, लेकिन अगर अभिलेख में प्रस्तुत की गई जानकारी का प्रभाव, दूसरे शब्दों में, अनुमानित तथ्य के अस्तित्व को असंभव बनाता है, तो उस पर उपधारणा को खंडन का भार खत्म हो सकता है। दूसरे शब्दों में, अभियुक्त केवल अपने पक्ष में ज़्यादा संभावना की प्रबलता दिखाकर उपधारणा का खंडन कर सकता है; उसके लिए अपने मामले को उचित संदेह से परे स्थापित करना आवश्यक नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) विशेष न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष दिया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 4 (1) के तहत लगाई गई उपधारणा का अपीलार्थी द्वारा खंडन नहीं किया गया था। मेरा विचार है कि छाया साक्षी दर्शनदास (ब.सा.-2) के साक्ष्य, मुरीतराम (अ.सा.-1) के प्रति-परीक्षण और इस तथ्य को देखते हुए कि अभिलेख पर ऐसा कोई सखी नहीं था जो यह दिखाए कि अपीलार्थी को रंग लगा करेंसी नोट देने से पहले अपीलार्थी और शिकायतकर्ता मुरीतराम (अ.सा.-1) के बीच क्या बातचीत हुआ था, और इस बात को देखते हुए कि रंग लगा नोट कैंटीन/होटल के बिल के भुगतान के लिए दिया गया था, अपीलार्थी ने अपने पक्ष में ज़्यादा संभावनाओं की प्रबलता दिखाकर अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन कर दिया है और वह संदेह के लाभ का हक़दार था।

(15) परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। विशेष अधिनियम की धारा 5 (2) की धारा 5 (1) (द) और भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के तहत अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी ज़मानत पर है। उसके बंध पत्र रद्द किए जाते हैं और प्रतिभूति को उन्मोचित किया जाता है।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By - ब्रजेश कुमार तिवारी